

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
“कर-भवन”, अजमेर


क्रमांक: एफ-7(108)जन/10/18०5

दिनांक: 21.10.10

आदेश

उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(54)वित्त/कर/2010 दिनांक 20.10.10 द्वारा प्रलेख लेखकों को दस्तावेज लिखने की दरें बढ़ाने के लिए दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर राजस्थान रजिस्ट्रेशन (लाईसेंसिंग आफ डाक्यूमेन्ट्स राईटर्स) नियम-1956 के नियम-7 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं महावीर सिंह, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर राजस्थान राज्य में प्रलेख लेखन का कार्य करने वाले अनुज्ञा-पत्र प्राप्त प्रलेख लेखकों के लिये प्रलेखों की लिखाई दरे निम्नानुसार पुनः निर्धारित करता हूँ। ये दरें दिनांक 21.10.10 से प्रभावशील होंगी ।


क्र. सं.	लेख्य पत्र का प्रकार	निर्धारित दरें
1	बेनामा, दान पत्र, रहननामा व बंटवारानामा	
	(अ) सम्पत्ति का मूल्य 0.10 लाख तक	50 रुपये
	(ब) सम्पत्ति का मूल्य 1.00 लाख तक	100 रुपये
	(स) सम्पत्ति का मूल्य 5.00 लाख तक	150 रुपये
	(द) सम्पत्ति का मूल्य 10.00 लाख तक,	200 रुपये
	10.00 लाख से अधिक पर प्रत्येक 10.00 लाख पर	100 रुपये
2	मुख्त्यारनामा आम एवं खास	50 रुपये
3	गोदनामा	50 रुपये
4	वसीयतनामा	50 रुपये
5	अन्य प्रकार के आलेख	30 रुपये
6	प्रार्थना पत्र प्रतिलिपि एवं निरीक्षण हेतु	05 रुपये


(महावीर सिंह) 21/10
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(108)जन/10/18095 to 18545 दिनांक: 21-10-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि समस्त प्रलेख लेखकों की जानकारी के लिये यह सूची कार्यालय के बाहर एवंम जहां प्रलेख लेखक का कार्य करते हैं, वहां पर प्रदर्शित की जावें और तुरन्त ब्लेक बोर्ड पर लिखवाकर लगवा दी जावें।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर